E Content for the Student of Patliputra University
Subject Political science
Class - B.A. (Hons.) Part - III, Paper VIII

Topic - Nehru Report 1928.

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Pol. Sc.
R.R.S. College Mokama.

1918 में मार्ले - मिन्टो रिपोर्ट के बाद 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था। इसमें प्रांतों के लिए द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। इसमें दोहरी व्यवस्था थी। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यपाल का प्रत्यक्ष नियंत्रण था जबकि कुछ महत्वहीन विषय राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में दिये गये थे। इस कारण टकराव तथा अवरूद्धता की स्थिति बनी रहती थी। इस प्रणाली की जाँच के लिए ब्रिटिश सरकार के मंत्री साइमन की अध्यक्षता में एक समिति 1926 में भारत आई थी। भारतीय कांग्रेस ने इस समिति के बहिष्कार का निर्णय लिया, क्योंकि एक भी प्रतिनिधि भारतीय इसमें नहीं थे। कांग्रेस तथा पूरे भारत के लोगों की मानसिकता 1919 के अधिनियम की द्वैध शासन प्रणाली के प्रावधान के विरुद्ध था तथा इसे समाप्त किये जाने की माँग करते थे।

साइमन कमीशन बहिष्कार के विरोध आंदोलन के बीच ब्रिटिश गृह मंत्री लार्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को उलाहने के क्रम में कहा कि भारतीय नेता आपस में लड़ते रहते हैं, हम जब कुछ करना चाहते हैं तो उसकी आलोचना करते हैं तथा उसे स्वीकार नहीं करते हैं। किन्तु वे स्वयं सर्वसम्मत प्रस्ताव तैयार कर देने की क्षमता नहीं रखते हैं।

लार्ड बर्केनहेड के इस कथन को भारतीयों ने चुनौती के रूप में लिया। सर्वदलीय बैठक की गई तथा भारत के लिए एक संवैधानिक प्रस्ताव बनाकर ब्रिटिश सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। इस सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोती लाल नेहरू बनाये गये। इन्हीं के नाम के कारण इस समिति के रिपोर्ट को "नेहरू रिपोर्ट" कहा जाता है। 1928 में इसे प्रस्तावित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान निम्न लिखित हैं -

(1) औपनिवेशिक स्वराज्य - यह एक आश्चर्य की बात है कि स्वराज्य के लिए गाँधी जी के नेतृत्व असहयोग आंदोलन 1920 में चलने के बावजूद नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज्य नहीं औपनिवेशिक स्वराज्य की प्रस्ताव किया गया।

(2) संघात्मक व्यवस्था - नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। जिसमें एक केंद्र सरकार के अतिरिक्त कई राज्यों की सरकारें होती। संघात्मक व्यवस्था के बावजूद मजबूत केंद्र पर विशेष बल था।

(3) द्विसदनात्मक विधायिका - इसमें संसद के लिए दो सदन का प्रावधान किया गया था। प्रथम सदन में जनता के लोकप्रिय मतों के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि होते, जबकि द्वितीय सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

(4) संसदीय शासन प्रणाली - नेहरू रिपोर्ट में अन्य कॉमनवेल्थ देशों की तरह संसदीय शासन प्रणाली की बात की गई थी।

(5) द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति - नेहरू रिपोर्ट में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किये जाने की बात की गई थी। केंद्र तथा राज्यों में लोकप्रिय सरकार के प्रति उत्तरदायी सरकारों का प्रावधान किया गया था।

6. वयस्क मताधिकार – नेहरू रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए बगैर किसी भेद भाव के वयस्क मताधिकार का प्रावधान लागू करने का प्रावधान था।

7. साम्प्रदायिक निर्वाचन का निषेध – नेहरू रिपोर्ट में किसी भी स्थिति साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का पूरी तरह निषेध किया गया था। न तो साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, न ही सम्प्रदाय के आधार पर सीटें की संख्या आरक्षित की जायेगी।

8. मौलिक अधिकार – नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था।

9. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका – नेहरू रिपोर्ट संविधान तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रस्ताव किया गया था।

10. ब्रिटेन से संबंध – राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में भारत एवं ब्रिटेन का संबंध बना रहेगा।

इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था का प्रारूप दिया गया। इसकी भारतीय इतिहास में मौलिक बातें यह थी कि इसके माध्यम से मजबूत केंद्र के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था का बीजारोपण कर दिया गया। इसी प्रकार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग भी सदा के लिए ठुकरा दी गई। मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार, संघीय प्रणाली आदि प्रावधानों को पहली बार भारतीयों की आकांक्षा के रूप में उद्घाटित किया गया।

इन प्रावधानों का भारतीय संविधान के निर्माण में स्वीकृति मिली।

नेहरू रिपोर्ट के सबसे बड़े आलोचक मि० जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस है।

मि० जिन्ना मजबूत केन्द्र तथा साम्प्रदायि

निर्वाचन की प्रक्रिया को नकारने से असहमत थे। उन्होंने अलग से अपना चौदह सूत्र का प्रारूप तैयार कर भेजा। इसमें इकाई राज्यों को विशेष शक्ति तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए साम्प्रदायिक ~~समिति~~ आरक्षण का प्रावधान रखा।

जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस दोनों औपनिवेशिक स्वराज के प्रावधान के विरुद्ध थे। वे पूर्ण स्वराज के प्रति समर्पित थे। वे किसी भी स्थिति में इससे कम पर तैयार नहीं थे। अंत में गांधीजी के हस्तक्षेप से यह निर्णय हुआ कि एक वर्ष तक अगर ब्रिटिश सरकार नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करती है तो कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट से बंधी हुई है। अन्यथा एक वर्ष के बाद हमारी मांग पूर्ण स्वराज की होगी। यही कारण था कि 1929 के बाद 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया स्वतंत्रता पूर्व 26 जनवरी को ही इस कारण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के विकास के इतिहास में "नेहरू रिपोर्ट - 1928" एक निर्णायक बिन्दु (Turning point) की भूमिका में है।